

न्यायालय उपायुक्त, खूँटी

अनुसूची -14 फार्म सं० 562

न्यायालय द्वारा स्थापित खूँटी
आदेश पत्रक

अभिलेख हस्तक 1941 नियम -129

दा. स्वा. रिकीजत वाद सं० ... 2015 ... वर्ष ... 2015 ... धारा ...
ACTR 11/15/15

अपीलकर्ता/प्र०प०/आवेदक


प्रतिवादी/द्वि०प०/विपक्षी

देव नारायण जमसवाल बनाम, अन्यल अधिकारी मुट्ठ एवं अन्य।

आदेश क्रमांक/तिथि	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश की गयी कार्रवाई तिथि सहित
1	2	3
16-06-15	<p>पुस्तुत वाद इन्विटु- (1) देव नारायण जमसवाल के. स्व. राम नारायण जमसवाल (2) जैलेन्द्र जमसवाल के. स्व. लोसाग सिंह जमसवाल दोनों साझी-सच. बी. रोड संची ग्राम-लासपुर जिला-संची ने भूमि सुधार उप स्थापित खूँटी के न्यायालय के दायरे में अपील वाद संख्या-13/14-15 में दिनांक-09.04.15 को पारित आदेश के विरुद्ध दायर किया गया है। वाद की अपील कार्यवाही हेतु अभिलेख द्वारा स्थापित खूँटी के न्यायालय में हस्तांतरित करें।</p>	
18-06-15	<p>आदेश को उपस्थापित। अभिलेख उपायुक्त खूँटी के न्यायालय द्वारा हस्तांतरित होकर प्राप्त है।</p>	

16/06/15



आदेश क्रमांक / तिथि Order No./Date 1	आदेश एवं अधिकारी का हस्ताक्षर Order and Signature of Officer 2	आदेश की गयी कार्रवाई की तिथि सहित Action taken on order with date 3
01-07-20	<p> अमिलेख उपस्थापित/ सरदार के सचिव राजस्व निबंधन एवं श्री सुधा सिंग मारवाड लखार के फांवर 3321/20 दिनांक 24-01-20 के द्वारा उल्लिखित है कि The Bihar Tenants Holding (Maintenance of Records) Act 1973 की धारा 16 के अन्तर्गत Revision की सुनवाई के वा अधिकार मात्र collector को है न कि Additional collector अथवा deputy collector को है। </p> <p> अब उपर सिंग धारा के आगे के असेवर सुनवाई हेतु अमिलेख उर्फ उपायुक्त श्री के अमालम से हस्तगत करें। </p> <p>  20/7/20 अ. क. उपायुक्त श्री </p> <p> अमिलेख उपस्थापित/ अमिलेख अफसर लखार श्री के अमालम से हस्तगत सेवर प्राप्त है। </p> <p> अमिलेख पर असेवर अरबरी हेतु वाद पंजी के इन्जाज करते हुए फावरों को सूचना निर्गत करें। </p> <p> अमिलेख दिनांक को रखें। </p>	